"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2011—चैत्र 7, शक 1933

### छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 28 मार्च, 2011 (चैत 7, 1933)

क्रमांक-4622/वि. स./विधान/2011 .—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2011) जो दिनांक 28 मार्च, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
**(देवेन्द्र वर्मा)**
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 7 सन् 2011)

# छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011

**छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

**धारा 59 का संशोधन**

2\. (1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 59 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाए, अर्थात् :-

"(च), (छ) तथा (ज)."

(2) धारा 59 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

"(च) आवासीय कालोनी/परियोजना,
(छ) सार्वजनिक/संस्थागत प्रयोजन,
(ज) चिकित्सा सुविधा केन्द्र."

(3) धारा 59 की उप-धारा (2) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएं, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण को भूमि के व्यपवर्तन हेतु पुन: निर्धारण से छूट होगी."

(4) मूल अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (5) में शब्द "उपखण्ड अधिकारी" के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाए.

**धारा 172 का संशोधन.**

3\. (1) मूल अधिनियम की धारा 172 में, जहां कहीं शब्द "उपखण्ड अधिकारी" आया हो, के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 172 की उप-धारा (4) में, शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 172 की उप-धारा (5) में, शब्द "दो सौ रुपये" तथा "बीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपये" तथा "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएं.

(4) मूल अधिनियम की धारा 172 की उप-धारा (6-क) में, शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

4. मूल अधिनियम की धारा 241 की उप-धारा (4) में, शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 241 का संशोधन.**

5. मूल अधिनियम की धारा 247 की उप-धारा (7) के परन्तुक में, जहां कहीं शब्द "एक हजार रुपये" आया हो, के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 247 का संशोधन.**

6. (1) मूल अधिनियम की धारा 248 की उप-धारा (1) में, शब्द "पांच हजार रुपये" तथा "बीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" तथा "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएं. **धारा 248 का संशोधन.**

(2) मूल अधिनियम की धारा 248 की उप-धारा (2) में, शब्द "एक हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

7. (1) मूल अधिनियम की धारा 250 की उप-धारा (6) में, शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 250 का संशोधन.**

(2) मूल अधिनियम की धारा 250 की उप-धारा (9) में, शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 250 की उप-धारा (9) के परन्तुक में, शब्द "एक हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

(4) मूल अधिनियम की धारा 250-ख की उप-धारा (4) में, शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

8. मूल अधिनियम की धारा 253 की उप-धारा (1) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 253 का संशोधन.**

## उद्देश्य एवं कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के विकास कार्यों को बढ़ावा देने तथा वृक्षों/वनों की अवैध कटाई, खनिज संपदा के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59, 172, 241, 247, 248, 250 एवं धारा 253 में उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक संशोधन हेतु विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 21 मार्च, 2011

**अमर अग्रवाल**
राजस्व मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

# उपाबंध

**छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 59 (1), (2), (5), धारा 172 (1), (4), (5), (6-क), धारा 241 (4), धारा 247 (7), धारा 248 (1), (2), धारा 250 (6), (9), 250-ख (4) एवं धारा 253 (1) के संबंध में सुसंगत उद्धरण :-**

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

1- **धारा 59. जिस प्रयोजन के लिये भूमि उपयोग में लाई जावे उसी के अनुसार भू-राजस्व में फेरफार** (Variation of land revenue) -

(1) किसी भूमि पर राजस्व का निर्धारण निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उस भूमि के उपयोग की दृष्टि में रखते हुए किया जायेगा.

(क) कृषि या ऐसे प्रक्षेत्र गृह (फार्म हाउस) के प्रयोजन के लिए जो एक एकड़ या अधिक के खाते पर स्थित हो,

(ख) निवास गृहों के लिए स्थलों के रूप में उपयोग,

(ग) मद (क), (ख), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किये गये प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग,

(घ) औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग,

(ङ) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) के अर्थ के अंतर्गत खनन पट्टे के अधीन खनन के प्रयोजनों के लिए.

परन्तु किसी ऐसी भूमि पर, जो उन क्षेत्रों में स्थित है, जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का संख्यांक 16) के अधीन आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किया जाए, पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से भू-राजस्व के निर्धारित की कार्यवाही या संहिता के सुसंगत उपबधों के अधीन निर्धारण के संबंध में अनुसरित की जाने-वाली कोई भी प्रक्रिया, वन विभाग के ऐसे किसी अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य संरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो, भूमि के उपयोग को अनुज्ञात करते हुए जारी किए गए प्रमाणपत्र पर ही की जाएगी या प्रारंभ की जाएगी, अन्यथा नहीं.

(2) जहां कोई भूमि, जिस पर किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने के हेतु निर्धारण किया गया हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाय. वहां ऐसी भूमि पर देय भू-राजस्व, इस बात के होते हुए भी कि उस अवधि का, जिसके कि लिये निर्धारण नियत किया गया हो, अवसान नहीं हुआ है, उस प्रयोजन के अनुसार परिवर्तित तथा निर्धारित किये जाने के दायित्वाधीन होगा जिसके कि लिए वह व्यपवर्तित कर दी गई है.

परन्तु लघु उद्योगों को पांच एकड़ से अनधिक भूमि व्यपवर्तित किये जाने पर पुनर्निर्धारण से पचास प्रतिशत छूट होगी.

(2-क) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किया गया परिवर्तन या निर्धारण उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जाएगा.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

(5) जहां किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने-वाली भूमि किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाती है और उस पर भू-राजस्व का निर्धारण इस धारा के उपबंधों के अधीन किया जाता है वहां उपखण्ड अधिकारी को यह शक्ति भी होगी कि वह उस व्यपवर्तन पर प्रीमियम इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अधिरोपित करें, परन्तु किसी भूमि के ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई प्रीमियम अधिरोपित नहीं किया जाएगा जो कि [illegible] प्रयोजनों के लिए हो.

**स्पष्टीकरण-** इस धारा के प्रयोजन के लिए, एक एकड़ सिंचित भूमि को दो एकड़ असिंचित भूमि के बराबर समझा जायेगा और इसी प्रकार इसका विपर्यय.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

2- धारा 172 की उपधारा (1) यदि-

(एक) नगरीय क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र की बाहरी सीमाओं से पांच मील की त्रिज्या के भीतर, या

(दो) किसी ऐसे ग्राम में, जिसकी जनसंख्या गत जनगणना के अनुसार दो हजार या उससे अधिक हो, या

(तीन) ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, किसी प्रयोजन के लिए धारित भूमि का भूमिस्वामी अपने खाते या उसके किसी भाग को कृषि के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है तो वह इस बावत अनुज्ञा दी जाने के लिए उपखण्ड अधिकारी को आवेदन करेगा जो इस धारा के तथा इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा या अनुज्ञा ऐसी शर्तों पर दे सकेगा जैसी कि वह ठीक समझे, परन्तु यदि उपखण्ड अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् तीन मास तक, उसके संबंध में अनुज्ञा या इन्कारी का आदेश करने तथा उसे आवेदक को परिदत्त करने में उपेक्षा या चूक करता है, और आवेदक ने उस चूक या उपेक्षा की और उपखण्ड अधिकारी का ध्यान लिखित संसूचना द्वारा आकृष्ट करा दिया हो तथा ऐसी चूक या उपेक्षा छह मास की और कालावधि तक जारी रहती है तो यह समझा जाएगा कि उपखण्ड अधिकारी ने अनुज्ञा बिना किसी शर्त के प्रदान कर दी हैं.

परन्तु यह और कि नगरीय क्षेत्र में स्थित किसी ऐसी भूमि का, जो विकास योजना में कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए आरक्षित की गई है, किन्तु उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, भूमिस्वामी, अपनी भूमि या उसके किसी भाग को ऐसे प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है जिसके लिए वह भूमि विकास योजना में आरक्षित है, तो वह उपखण्ड अधिकारी को अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा, जो उसे इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, अनुज्ञा देगा. यदि उपखण्ड अधिकारी इस परन्तुक के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् दो मास तक उसके संबंध में अनुज्ञा का आदेश करने तथा उसे आवेदक को परिदत्त करने में उपेक्षा या चूक करता है और आवेदक ने ऐसी चूक या उपेक्षा की ओर उपखण्ड अधिकारी का ध्यान लिखित संसूचना द्वारा आकृष्ट कर दिया है, और ऐसी चूक या उपेक्षा एक मास की और कालावधि तक जारी रहती है तो यह समझा जाएगा कि उपखण्ड अधिकारी ने अनुज्ञा बिना किसी शर्त के प्रदान कर दी है.

परन्तु यह भी यदि सक्षम प्राधिकारी किसी अवैध कालोनी, जिसकी भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है, के नियमितीकरण के कार्य का जिम्मा लेता है तो ऐसी भूमि विकास योजना के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए व्यपवर्तित हो गई समझी जाएगी और ऐसी भूमि धारा 59 के अधीन प्रीमियम तथा पुनरीक्षित भू-राजस्व के लिए दायी होगी.

**स्पष्टीकरण**-इस धारा के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी का वही अर्थ होगा जो उसके लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कोलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन तथा शर्तें) नियम, 1998 में दिया गया है.

(2) व्यपवर्तित करने की अनुज्ञा देने से उपखण्ड अधिकारी द्वारा केवल इन आधारों पर इंकार किया जा सकेगा कि उस व्यपवर्तन से लोक न्यूसेंस होना संभाव्य है, या यह कि भूमिस्वामी उन शर्तों का, जो कि उपधारा (3) के अधीन अधिरोपित की जाए, अनुपालन करने में असमर्थ है या अनुपालन करने के लिए राजी नहीं है.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

(4) यदि कोई भूमि, भूमिस्वामी द्वारा बिना अनुज्ञा के या किसी अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भूमिस्वामी की सम्मति से या उसकी सम्मति के बिना व्यपवर्तित कर दी गई हो तो उपखण्ड अधिकारी, उसकी जानकारी प्राप्त होने पर उस व्यक्ति पर, जो व्यपवर्तन के लिए जिम्मेदार है, ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो दो सौ रुपये से अधिक न हो, और उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार कार्यवाही कर सकेगा मानो व्यपवर्तित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर दिया गया हो.

(5) यदि कोई भूमि, पूर्वगामी उपधाराओं में से किसी उपधारा के अधीन पारित किए गए किसी आदेश या अधिरोपित की गई किसी शर्त के उल्लंघन में व्यपवर्तित की गई है, तो उपखण्ड अधिकारी उस व्यक्ति पर, जो ऐसे उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है, सूचना तामील कर सकेगा जिसमें उसे यह निर्देश दिया जाएगा कि वह उस सूचना में कथित युक्तियुक्त कालावधि के भीतर उस भूमि को उसके मूल प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए या शर्त का अनुपालन करे, और ऐसी सूचना में ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह किसी संरचना को हटा ले, किसी उत्खात को भर दे या ऐसे अन्य उपाय करे जो इस दृष्टि से अपेक्षित हों कि उस भूमि को उसके मूल प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सके, या यह कि शर्त को पूरा किया जा सके. उपखण्ड अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर ऐसे उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति, जो दो सौ रुपये से अधिक की नहीं होगी तथा ऐसी अतिरिक्त शास्ति भी, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके कि दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहे, बीस रुपये से अधिक की नहीं होगी, अधिरोपित कर सकेगा.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

(6-क) यदि कोई भूमि धारा 165 की उपधारा (6-ङ ङ) के उल्लंघन में व्यपवर्तित की गई है, तो उपखण्ड अधिकारी उपधारा (5) और (6) में अधिकथित कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त शास्ति, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके कि दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहे, एक सौ रुपये से अधिक की नहीं होगी, भी अधिरोपित करेगा.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

**3- धारा 241-सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय -**

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (3) के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उनके उल्लंघन का दुष्पेपण करेगा, किसी अन्य कार्यवाही जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हो प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर, के लिखित आदेश पर पांच हजार रुपये से अनधिक ऐसी शास्ति का, जो कि उसके द्वारा अधिरोपित की जाय, भुगतान करने का दायी होगा और कलेक्टर यह और आदेश दे सकेगा कि इमारती लकड़ी के किन्हीं भी ऐसे वृक्षों का अधिहरण कर लिया जाय जो कि इस उपधारा के उपबंधों के उल्लंघन (Confiscation) में काटकर गिराये गये हैं.

**4- धारा 247 खनिजों के संबंध में सरकार का हक -**

(7) कोई भी व्यक्ति, जो विधिपूर्ण प्राधिकार, के बिना किसी ऐसी खान या खदान में, जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है तथा सरकार द्वारा समनुदेशित नहीं किया गया है, खनिजों को निकालेगा या हटायेगा तो वह, किसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर के लिखित आदेश पर, ऐसी शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो इस प्रकार निकाले गये या हटाये गये खनिजों के बाजार मूल्य के दुगुने के हिसाब से संगठित राशि से अधिक नहीं होगी.

परन्तु यदि इस प्रकार संगठित राशि एक हजार रुपये से कम हो, तो कलेक्टर ऐसी उच्चतर राशि की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी.

* * * * * * * * * * * * * *

**5- धारा 248-अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए शास्ति-** उपधारा (1) कोई भी व्यक्ति, जो कि अप्राधिकृत रूप से दखल रहित भूमि, आबादी, सेवाभूमि या किसी ऐसी भूमि पर, जो धारा 237 के अधीन किसी विशेष प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई हो, या किसी ऐसी भूमि पर , जो शासन की सम्पत्ति हो, कब्जा कर लेते हैं या उस पर कब्जा बनाये रखता है, तहसीलदार के आदेश द्वारा संक्षिप्ततः बेदखल किया जा सकेगा और कोई भी फसल जो कि भूमि पर खड़ी हो तथा कोई भी भवन या अन्य निर्माण कार्य, जो उसने उस पर निर्मित किया हो, यदि ऐसे समय के भीतर, जैसा कि तहसीलदार नियत करे, उसके द्वारा नहीं हटाया जाता है, तो अधिहरित किया जा सकेगा. इस प्रकार अधिहरित की गई किसी भी सम्पत्ति का तहसीलदार के निर्देशानुसार निपटारा किया जायेगा और किसी भी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने का तथा भूमि को उसकी मूल स्थिति में लाने के लिए आवश्यक समस्त कार्यों का खर्चा उनके भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगा. ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के विवेकानुसार, अप्राधिकृत दखल की कालावधि के लिए भूमि का लगान उस स्थान में ऐसी भूमि के लिये स्वीकार्य दर की दुगुनी दर से चुकाने के तथा ऐसे जुर्माने के, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, तथा ऐसे और जुर्माने के, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसको ऐसा अप्राधिकृत दखल या कब्जा प्रथम बेदखली के दिनांक के पश्चात् चालू रहे, बीस रुपये तक हो सकता है, लिए भी दायित्वाधीन होगा. तहसीलदार संपूर्ण जुर्माने या उसके किसी भाग को ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर देने के लिए उपयोग में ला सकेगा जिन्हें उसकी राय में अधिक्रमण से हानि या क्षति हुई हो.

(2) तहसीलदार इस बात के लिये सक्षम नहीं होगा कि वह एक हजार पांच सौ रुपये से अधिक की जुर्माना अधिरोपित करे, किन्तु यदि किसी मामले में वह यह समझता है कि मामले की परिस्थितियां अधिक जुर्माने के अधिरोपित के लिये समुचित आधार है, तो वह मामला उप जिला पदाधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा जो तब, संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जुर्माने के संबंध में ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह उचित समझे.

* * * * * * * * * * * * * *

**6- धारा 250-अनुचित रूप से बे-कब्जा किये गये भूमिस्वामी का पुनःस्थापन-**

(6) यदि उपधारा (2) के अधीन पारित किया गया आदेश आवेदक के पक्ष में हो तो तहसीलदार विरोधी पक्षकार द्वारा आवेदक को संदत्त किया जाने वाला प्रतिकर भी अधिनिर्णीत करेगा जो उस दर पर होगा दो सौ पचास रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष के अनुपातिक हो.

* * * * * * * * * * * * * *

(9) जहां उपधारा (2) के अधीन, भूमिस्वामी को पुनः कब्जा दिलाया जाने के लिए आदेश दे दिया गया हो, वहां विरोधी पक्षकार जुर्माने के, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा के लिए भी दायित्वाधीन होगा.

परन्तु तहसीलदार इस बात के लिये सक्षम नहीं होगा कि वह एक हजार पांच सौ रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित करे, किन्तु यदि किसी मामले में वह यह समझता है कि मामले की परिस्थितियां अधिक जुर्माने के अधिरोपण के लिए समुचित आधार है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी को निर्देशित कर सकेगा जो संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जुर्माने के संबंध में ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह उचित समझे.

* * * * * * * * * * * * * *

**7- 250-ख. भूमि के आवंटिती के पक्ष में भूमि खाली न करना अपराध होगा-**

(4) यदि वह व्यक्ति, जिसे उपधारा 2 के अधीन निदेश दिया जाता है, निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से या दोनों से, और जहां निदेश का ऐसा अनुपालन (Non-compliance of direction) जारी रहता है वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम अनुपालन के पश्चात् के प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान अनुपालन पर डटे रहना साबित हो जाता है, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

8- **धारा 253 उपबंधों के उल्लंघन के लिये दण्ड-**(1) इस संहिता में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति जो इसके अध्याय के या इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करेगा, या जो किन्हीं नियमों या वाजिब-उ-अर्ज में दर्ज की गई किसी रूढ़ी का उल्लंघन करेगा या उनका अनुपालन नहीं करेगा या निस्तार पत्रक में की गई किसी प्रविष्टि को भंग करेगा, एक हजार रुपये से अनधिक ऐसी शास्ति का दायी होगा, जैसी कि उपखंड अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उचित समझे, तथा उपखंड अधिकारी किसी भी ऐसी इमारती लकड़ी, वन उपज या किसी अन्य उपज के अधिग्रहण का भी आदेश दे सकेगा जिसका कि ऐसे व्यक्ति ने राज्य सरकार की भूमियों में से लेकर उपयोग कर लिया हो या जिसे कि उसने वहां से हटा लिया हो.

* * * * * * * * * * * * * *

**देवेन्द्र वर्मा**
**सचिव,**
**छत्तीसगढ़ विधान सभा.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.